तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रहलाद बनाम कुलदीप शर्मा** **अपील संख्या 182/2013 (जीसीएमएस नम्बर 2013/00029**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तलबी नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु अवसर चाहा जिसका एतराज रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2013 से रेस्पोडेन्ट की तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा दिनांक 02.03.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तलबी नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु पेश करने के आदेश दिये गये है जो दिनांक 27.10.2021 को अंतिम अवसर देने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नोटिस आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किये गये है जिससे स्पष्ट हो जाता है अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना नही की जा रही है एवं प्रकरण को अनावश्यक ही विलम्ब किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना नही करने पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर	